

संकल्प

विषय:— राजकीय पोलिटेकनिक/अभियंत्रण महाविद्यालयों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय बालिकाओं को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के संबंध में।

बालिकाओं के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में एवं आधी आबादी को भी तकनीकी शिक्षा से जोड़ने हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रतिबद्ध है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शुल्क हेतु संकल्प संख्या-613, दिनांक 30.03.2007 के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत है। छात्राओं के वर्तमान विकास दर को दृष्टिपथ में रखते हुए इन शुल्कों पर पुर्नविचार महसूस की जा रही थी।

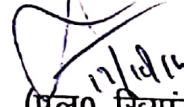
वर्तमान में बी0आई0टी0 सिन्दरी धनबाद में प्रतिवर्ष रुपये 7700/- (रुपये सात हजार सात सौ) प्रतिवर्ष सामान्य कोटि के छात्रों से एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिये रुपये 2400/- (रुपये दो हजार चार सौ) रुपये मात्र शिक्षण शुल्क (Tution Fee) निर्धारित है। जबकि इन संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं का शुल्क आदि उपरोक्त राशि का मात्र 25 प्रतिशत निर्धारित है।

तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं का शिक्षण शुल्क माफ किये जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लेखित राशि राजकोष को अप्राप्त होगा, परन्तु छात्राओं के तकनीकी शिक्षा दर में अनुपातिक विकास की प्रबल संभावना है, साथ ही साथ राज्य की छात्राएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर स्वावलम्बी होगी। ऐसी स्थिति में राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी संभव है।

अतः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15.10.2014 में मद संख्या 14 में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य सरकार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक में अध्ययनरत् झारखण्ड राज्य के स्थानीय बालिकाओं को शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से निःशुल्क तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगी।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(एल0 ख्यांगते)

सरकार के प्रधान सचिव

113

ज्ञापांक:- वि०प्रा०विविध-67/14 — 2085 /राँची, दिनांक:- 17.10.14
प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



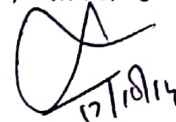
(एल० ख्यांगते)

सरकार के प्रधान सचिव

/राँची, दिनांक:- 17.10.14

ज्ञापांक:- वि०प्रा०विविध-67/14 — 2085

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(एल० ख्यांगते)

सरकार के प्रधान सचिव

/राँची, दिनांक:- 17.10.14

ज्ञापांक:- वि०प्रा०विविध-67/14 — 2085

प्रतिलिपि:- कुलपति, सभी विश्वविद्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।



(एल० ख्यांगते)

सरकार के प्रधान सचिव

/राँची, दिनांक:- 17.10.14

ज्ञापांक:- वि०प्रा०विविध-67/14 — 2085

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/निदेशक, बी०आई०टी०, सिन्दरी/सभी प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/औद्योगिक विद्यालय, डालटनगंज/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।



(एल० ख्यांगते)

सरकार के प्रधान सचिव